भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4529
19.07.2019 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक अपशिष्ट

4529. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर :
श्री कृपाल बालाजी तुमाने :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्लास्टिक की औसत वार्षिक खपत कितनी है और उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा कितनी है;

(ख) सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा पैदा करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख शहरों/राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्लास्टिक अपशिष्ट के हानिकारक प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इस संबंध में कोई निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा देश में प्लास्टिक पैकेजिंग सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन और सुरक्षित निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्लास्टिक उद्योग में संलग्न श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2015 के अनुसार, 2011-12 से 2015-16 (सितम्बर 2015 तक) प्लास्टिक उत्पादों का औसत उत्पादन/उपभोग प्रतिवर्ष रायासनिक और रासायनिक उत्पादों के क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर सहित 707 एमएमटी/ प्रतिवर्ष है। भारत के 60 मुख्य शहरों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अध्ययन आयोजित किया। यह अनुमान लगाया गया है कि इन शहरों में लगभग प्रतिदिन 4059 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले प्रमुख शहरों में दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई तथा बेंगलुरू हैं। समूचे देश के 60 प्रमुख शहरों से इस प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन डाटा की गणना करते हुए यह अनुमान लगाया है कि भारत में लगभग प्रतिदिन 25,940 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अध्ययन में ऐसा देखा गया है कि भारी धातुओं, क्लोराइड, फथोलाईट आदि प्लास्टिक अपशिष्ट से आस-पास के परिवेश में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि ये रासायनिक रूप से सीमित नहीं हैं और गतिशील और निक्षालन अवस्था में बने रहते हैं।

(घ) से (च) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत संघ मामले में 2014 के मूल आवेदन संख्या 199 में अपने निर्णय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को समेकित दिशानिर्देश जारी किए। सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, अधिसूचित किए हैं। नियमों के अनुसार, अपशिष्ट उत्पादकों के लिए

प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन कम करना, प्लास्टिक अपशिष्ट को न बिखरने, स्रोत पर प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक करने और स्थानीय निकायों या स्थानीय निकायों द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को पृथकृत अपशिष्ट सौंपने के लिए कदम उठाना अनिवार्य किया गया है। इन नियमों में स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अपशिष्ट उत्पादकों, खुदरा विक्रेताओं और फेरीवालों की जिम्मेदारी निर्धारित है कि वह प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करें। ये नियम, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सिंद्धात पर आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए कार्य पद्धतियों तैयार करना बनाते हैं। भारत सरकार के अनेक विधानों यानी फैक्टरी अधिनियम 1948 एवं अन्य द्वारा कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखा जाता है।

****